IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मालिम बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रभाव,एक अध्ययन

Esshu Awasthi
Assistant Professor
Department Of Education
Rajat College,Lucknow

सारांश : - विश्व में शिक्षा सम्भवतः सबसे पुराना विषय है। जबसे मानव ने इस ग्रह पर कदम रखा द है तब से वह अपने आपको, समझने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है शिक्षा के दम पर ही वह आने जीवन में आने वाली शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक , समस्यायों का मुकाबला कर पाता है शिक्षा एक बच्चे की सोच में व्यापक बदलाव लाकर उसकी समझ के दायरे को बढ़ाती है। अत्यधिक नगरीयकरण और औधोगीकरण के प्रभाव के कारण मलिन बस्तियों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया है बस्तियों के अंदर अंसख्य समस्याएं है। मलिन बस्तियों में असंख्य बुराइंया उत्पन्न होती है जो समाज को प्रभावित करती है । मलिन बस्तियों में अशिक्षा के परिणाम स्वरुप अनेक दुष्परिणाम सामने आते है यह वह जगह है जहाँ शिक्षा का नामोनिशान नहीं होता यहाँ सिर्फ गरीबी ,अशिक्षा चोरी,धूम्रपान की अधिकता होती है RTE के आने के बाद से इनकी शिक्षा में सुधार हुआ है अशिक्षा को दूर किया जा सकता है ।अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा कानून मलिन बस्तियों के अंदर एक नए सवेरे का आगाज है।

शब्द कुंजी :- मलिन बस्तिया , शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , अशिक्षा ,नगरीकरण , औद्योगिकीकरण,जागरूकता

प्रस्तावना :- मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अलग अलग योजनाएं चलायी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही जो उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करती है वर्तमान समय में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे शिक्षा से कोसों दूर है उनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं है वो शिर्फ अपनी बर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए जी फिर आगे चलकर यही बच्चे समाज में अवांछनीय हरकते करते हुए पाए जाते है। शिक्षा के आभाव में इन बच्चों का विकास नहीं हो पाता । स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिन बाद हमने बहुत प्रगति कर ली लेकिन जब हम इन मलिन बस्तियों की तरफ देखते है तो हमें लगता है हम अभी आजाद ही नहीं हुए है। एक तरफ 20 प्रतिशत जनसँख्या 80% संसाधनों का प्रयोग कर रही और सुख-सुविधा वाली जिंदगी जी रहे वही 80% जनसंख्या मात्र 20% संसाधनों का प्रयोग करके जिन्दा है
एक सर्वे के हिसाब से अभी भी 22% जनसँख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है । अत्यधिक भीड़-भाड़ , सीलन,और दुर्गन्धयुक्त मकान , और तंग गालिया , आर्थिक आभाव, मादक पदार्थो का सेवन तथा अपराधी व्यव्हार इन बस्तियों की सामान्य विशेषताएं है । मलिन बस्तियों को दो प्रकार से देखा जा सकता है पहली वो जो बड़े बड़े महानगरों में मोहल्लों के रूप में होती है। जहाँ नागरिक सुविधओं का आभाव रहता है जहाँ एक ही कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है । जैसे मुम्बई, कानपुर, दिल्ली आदि। दूसरी वो बस्तियां जो औद्योगिक नगरों के बाहर खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से विकसित हो जाती है। जो झुग्गी -झोपडी , बांसो, पॉलिथीन , आदि से बनकर तैयार होती है ।इन्ही जैसे बच्चों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा देकर मुख्य धारा में लाया जा सके ।

आवश्यकता :विकासशील देशों के शहरों में मलिन बसियों की नए सिरे से शिक्षा और दीक्षा की कामना की गयी है।यह अध्ययन लखनऊ के विकास नगर , सुग्गामौउ , आलमबाग ,चारबाग, इत्यादि क्षेत्रों की मालिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है।इसलिये इसमें तमाम शहरी परिस्थितियां शामिल है । इन मलिन बस्तियों में ज्यादातर वो लोग शामिल है जो या तो शरणार्थी है या फिर कमजोर वर्ग के है विकासशील देशों में आबादी का विकास आमतौर शहरो की तरफ तेजी से होता है । जहाँ वो एक छोटे दायरे में रहते है जो आगे चलकर मलिन बस्तियां बन जाती है। फिर इन्ही मलिन बस्तियों में वो दयनीय जीवन जीने लगते है और इनके बच्चों की शिक्षा चरमरा जाती है वो रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते है। जिससे वो अशिक्षा के अँधेरे में चले जाते है रहे हैं,।

उद्देश्य :-

1-मलिन बस्तियों के कारणों के विषय में अध्ययन करना
2-RTE एक्ट का मलिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा के ऊपर प्रभाव का अध्ययन

मलिन बस्तियों के विकास के कारण : -

मलिन बस्तियाँ नगरीकरण के कारण नगरों के छोटे क्षेत्रों में विकास करती हैं। इनके पास खुद की कोई जमीन नाहु होती जिससे ये कही भी अपना ठिकाना बना लेते है और जीवन यापन करने लगते है बहुत बार प्रशासन द्वारा हटाया भी जाता है लेकिन कुछ समय बाद वो फिर दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लेते है ।वैसे इन ही अधिक विकास के अनेक कारण है जिनमें मुख्यतः महत्वपूर्ण है। अधिकांश नगरीय अप्रवासी इतने निर्धन होते है कि वे अपने लिए उचित संसाधन नहीं तलाश सकते जिसकी वजह से इन लोगों के सामने कि निवास की समस्या आ जाती है फिर ये लोग कही भी खली पड़ी हुई रेलवे लाइन के किनारे, नालों के किनारे ,सड़कों के किनारे अपनी झोपडी और कोठरी बना कर राहने लगते है।
निर्धनता एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये लोग चाह कर भी अपनी स्थिति सही नहीं कर सकते । अद्योगिकीकरण ने और स्थति विकराल कर दी है।लोग एक जगह इकठ्ठा हो रहे और काम संसाधनों में जीवन यापन कर रहे मजदूर,कामगार, गावो से बेहतर जीवन की तलाश में निकल कर आये हुए लोग । जो यहाँ आकर निर्धनता की स्थिति में तमाम अभावो में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते है ।

शिक्षा का अधिकार अधिनयम 2009 :- भारतीय संविधान में आर्टिकल 45 में सबसे पहले बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गयी थी । फिर आगे चलकर 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 21A में रखा गया जिससे शिक्षा पर हर उस बच्चे का अधिकार हो गया जो भारत देश की सीमा के अंदर पैदा होता है । ऐसी मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया जो यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक वच्चे को सरकार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी।
इस कानून के आने से सबसे बड़ा फायदा उस बंचित वर्ग को हुआ जो निर्धनता की वजह से आने बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान कर पा राहा था । झुग्गी ,झोपड़ियों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही ध्यान दे पाते है और निर्धनता की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। ऐसे लोगो के लिए RTE एक्ट किसी वरदान से कम नहीं है। बिना शिक्षा के मलिन बस्तियों के बच्चे बड़े होकर चोरी, छिनैती, मादक पदार्थो का प्रयोग , और न जाने कितने अवांछनीय कार्यो में आना समय और ऊर्जा बर्बाद करते है
एक कानून की वजह से हर बच्चा स्कूल जाने को प्रतिबद्ध होता है जिससे उनमे शिक्षा का पसार होता है और वो उस शिक्षा को अपने घर वालो तक स्थानांतरित करते है बड़े होकर बेहतर इंसान बनने की कोशिस कर सकते है जिससे मालीन बस्तियों का वातावरण स्वस्थ हो सकता है।

इस अधिनियम के माध्यम से अधिकारों का दावा और सुरक्षा की जा सकती है। 2009 से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार भारतीय बच्चों के 14 वर्ष की आयु के लिए ऐतिहासिक क्षण होता है जिसमे 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21-ए के माध्यम से 86 वें संसोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है जिसका मतलब है बच्चे को जन्म से ही शिक्षा का अधिकार मिल जाता है कोई इसे छीन नहीं सकता ।

मलिन बस्तियों में शैक्षिक कार्यक्रम एवं समस्याएं :-

विश्व में शिक्षा सम्भवतः सबसे पुराना विषय है।मानव ने इस पृथ्वी जब से कदम रखा है. तब से वह यह समझने का प्रयास कर रहा है कि शिक्षा वास्तव में अपने आपको, और दुनिया को समझने का जरिया है ।पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति और मानव की शिक्षा का गहरा सम्बन्ध है, दोनों का विकास हालांकि साथ- साथ ही हुआ है।शिक्षा समय के साथ-साथ बदलती रहती है।

शिक्षा की यह अवधारणा प्रत्येक देश में किसी न किसी समय महसूस की जाती है कि शिक्षा में अब कुछ बदलाव की जारुरत है 1966 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग का सत्य भी कहना था कि शिक्षा व्यक्ति को और समाज को नैतिकता के मार्ग पर चलने का प्रशिक्षण देती है।

आज मलिन बस्तियों की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या से ज्यादा निरक्षर है। जो समय समय पर समाज में तमाम समस्याएं पैदा करते है आज जबकि शिक्षा सबके लिए आवश्यकता बनकर उभरी है। शिक्षा तक सबकी पहुंच न सिर्फ स्त्री-पुरुष बल्कि हर प्राणी शिक्षा के माध्यम से अपने को बेहतर कर सकता है।

मालिन बस्तियों में लोगो के बीच शिक्षा को बढ़ाने में निम्नलिखित कार्य किये जा सकते है ।
1-शिक्षा का पसार
2-वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ।
3- श्रम के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना ।
4-सहयोग की भावना ।
5-अन्धविश्वास से दूर रहना।
6-सामाजिक अवांछनीय गतिविधियों से दूर रहना।

निष्कर्ष -

मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि मलिन बस्तियों में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लोग जब मिलकर शैक्षिक विकास के लिए प्रयास करेंगे तब ही सफलता मिलेगी बिना सामूहिक प्रयास के सफल नहीं हो सकते । कितने बच्चे स्कूल जा रहे। कितने नहीं जा रहे । किन बच्चों के माता पिता बच्चों को शिक्षा देने में जागरूक है इसके अलावा नामांकन होने के बाद उन बच्चों का स्कूलों तक रोज पहुचना भी एक बड़ी समस्या है उनका फॉलोअप लेना जरूरी है। अशिक्षा और गरीबी पुरे समाज को अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जबतक स्वयं जागरूक नहीं होगें तथा शिक्षक और शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक विकास हो पाना संभव नहीं हैं।

सन्दर्भ सूची: -

1. जगजीत सिंह, "गन्दी बस्तियों में सांस लेती घुटन भरी जिन्दगी" कानपुर 6 दिसम्बर 1992 16 यूनाइटेड नेशन्स रोकिदियेड, अर्बन लैण्ड पोली 2

3 सेज, डाक्यूमेन्ट एस.टी। एस. सी. । एम. बी. क्लीनाई, स्लम एण्ड कम्यूनिटी डेवलेपमेण्ट न्यूयार्क द फ्री प्रेस 1996

4. 5. अदावल सुबोध - "शिक्षा की समस्याएँ। श्रीवास्तव गीता - "मलिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति तथा अवरोधों का अध्ययन। . भगवान प्रसाद - "शिक्षा का विकास" (सस्ता 6 साहित्य मण्डल प्रकाशन) ।